राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–53/2014/कोटा.
(सम्बन्धित अपील संख्या–07/2010/कोटा)

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–द्वितीय, कोटा. .....प्रार्थी (प्रत्यर्थी).

बनाम

मैसर्स अर्जुन ऑयल इण्डस्ट्रीज, कोटा. .....अप्रार्थी (अपीलार्थी).

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थी राजस्व की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

निर्णय

1. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 07/2010/कोटा के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 04.12.2013 को संशोधित किये जाने हेतु राजस्व की ओर से यह संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि कर बोर्ड की अपील संख्या 1031/2010/कोटा में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2012 में व्यवहारी द्वारा पोहा की बिक्री पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया जाना विधिसम्मत माना गया है अतः उस आधार पर उक्त निर्णय में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. अप्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त विवादित निर्णय दिनांक 04.12.2013 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 159/2014 प्रस्तुत की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2016 से अस्वीकार करते हुए कर बोर्ड के आदेश को पूर्णतया विधिसम्मत निर्णीत किया जा चुका है एवं माननीय कर बोर्ड के आदेश के दोनों भागों पर सहमति व्यक्त की गयी है। प्रथम यह कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश को संशोधित किया जाना अधिनियम की धारा 37 के scope में नहीं है क्योंकि पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पोहे पर एक प्रतिशत की करदेयता स्वीकार करने के पश्चात् उसी आईटम पर धारा 37 के तहत परिलक्षित भूल मानकर आदेश पारित किया जाना विधि के विरूद्ध होने से इसे निरस्त किया गया था एवं द्वितीय यह कि पोहे पर कर दर एक प्रतिशत ही मान ली गयी थी क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.04.2005 में राज्य के बाहर से आयातीत पेड़ी से निर्मित चावल पर एक

लगातार.....2

प्रतिशत से करदेयता निर्धारित की गयी है तथा चावल एवं पोहा एक ही वस्तु होने से पोहे पर भी एक प्रतिशत की कर दर ही लागू होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी निर्णय को रिवीजन में पूरी तरह से विधिसम्मत घोषित किया जा चुका है अतः अब राजस्व की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र स्वतः सारहीन हो चुका है एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निर्णय दिनांक 04.12.2013 पूर्णतया विधिसम्मत होने से इसमें किसी तरह का संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3. परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी राजस्व (प्रार्थी) का परिशोधन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

4. निर्णय सुनाया गया।

16/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य